राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान

क्रमांकः एफ.18(1)भनिकम/बैठक/6170 जयपुर, दिनांकः 18.8.2021

— : : अधिसूचना : : —

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22(1)(जी) तथा राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 के नियम 57 एवं नियम 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की अधिसूचना क्रमांक एफ.18(1)क.मं./बैठक/2009/पार्ट–II/786 दिनांक 28.04.2011 द्वारा "प्रसूति सहायता योजना" अधिसूचित की गई थी। इसके तदुपरान्त योजना के प्रावधानों में अधिसूचना दिनांक 21.09.2015, 16.11.2015, 09.09.2016 तथा 14.06.2018 द्वारा संशोधन किये गये। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की दिनांक 06.07.2021 को आयोजित 31वीं बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के क्रम में उक्त योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

प्रस्तावित संशोधन हेतु वर्तमान योजना की बिन्दु संख्या	विद्यमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
बिन्दु संख्या 4	हितलाभ– हिताधिकारी महिला श्रमिक अथवा पुरूष हिताधिकारी की पत्नि के पुत्री जन्म होने पर रूपये 21000/– (शब्देन इक्कीस हजार) तथा पुत्र जन्म होने पर 20000/– (शब्देन बीस हजार) रूपये प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार दी जावेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नकद लाभ प्राप्त न होने की दशा में रूपये 1000/– (शब्देन एक हजार) अतिरिक्त सहायता देय होगी।	हितलाभ– हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर रूपये 21000/– (शब्देन इक्कीस हजार) तथा पुत्र जन्म होने पर 20000/– (शब्देन बीस हजार) रूपये प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार 3 किश्तो में निम्नानुसार देय होगी:– (i) प्रसूति उपरान्त– रूपये 5000/– (शब्देन पॉच हजार) (ii) शिशु की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने तथा सम्पूर्ण टीकाकरण प्रमाणित होने पर– रूपये 5000/– (शब्देन पॉच हजार) (iii) शिशु की आयु 5 वर्ष पूर्ण होने तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने पर– रूपये 10,000/– (शब्देन दस हजार) बच्चे हेतु तथा रूपये 11,000/– (शब्देन ग्यारह हजार) बच्ची हेतु देय।

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि अथवा इसके पश्चात् हुए प्रसवों पर प्रभावी होगा।

उक्त अधिसूचना अध्यक्ष मण्डल की आई.डी संख्या 273 दिनांक 30.07.2021 एवं शासन सचिव के आई.डी. संख्या 1470 दिनांक 29.07.2021 से अनुमोदित है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल

क्रमांकः एफ.18(1)भनिकम/बैठक/6171-6214 जयपुर, दिनांकः 18.8.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, श्रम नियोजन, कौशल, उद्यमिता एवं तकनीकी प्रशिक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्री/श्रीमति/सुश्री ...., (समस्त मण्डल सदस्य)।
6. संयुक्त/उप/सहायक/श्रम कल्याण अधिकारी, ... (समस्त)।
7. एसीपी,(मुख्यालय), श्रम विभाग, जयपुर।
8. नोडल अधिकारी, एल.डी.एम.एस., जयपुर।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल